

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13809, दिनांक 02-11-2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में श्री दीपक कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, सहकारिता प्रशाखा, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को दिनांक 15-11-2017 से चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना द्वारा प्रशासकीय प्रबंधन कार्यक्रम, 2017 के द्वितीय बैच में सम्मिलित होने के लिए दिनांक 14-11-2017(मंगलवार) के अपराह्न से विरसित करते हुए प्रारंभिक तीन माह का सवैतनिक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. श्री कुमार द्वारा प्रबंधन कार्यक्रम की शेष अवधि में पदस्थापन स्थान पर कर्तव्य पर रहते हुए प्रोजेक्ट वर्क संपादन आदि में बितायी जायेगी।
3. प्रतिनियुक्त अवधि में कार्य स्थल के स्थापना से वेतन भुगतान जारी रहेगा।
4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

3(स0)/उ0स्था0(विविध प्रबंधन कार्यक्रम)27/2016 खंड

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री कन्हैया लाल साह, सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री राजीव रंजन, एक्सक्युटीव हेड, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, मीठापुर, पटना/श्री दीपक कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, सहकारिता प्रशाखा, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अवर सचिव
पटना, दिनांक:- 13.11.17

ज्ञापांक:- 478।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव
13.11.17